छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 54 / 2006</u>

श्री पदमचंद नाहटा, ... आवेदक
एल.आई.जी.–80 सेक्टर–2,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
   लोक निर्माण विभाग
   छ.ग. शासन, रायपुर (छ.ग.)

2. जन सूचना अधिकारी .... अनावेदक
   सामान्य प्रशासन विभाग
   छ.ग. शासन, दाऊ कल्याण सिंह
   भवन, रायपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::
(30 अगस्त 2006)

आवेदक श्री पदमचंद नाहटा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत धारा 18 के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत की कि उसके द्वारा दिनांक 16–11–2005 को जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग से डामर खरीदी कांड से संबंधित मुख्य तकनीकी परीक्षक की जांच रिपोर्ट की प्रति चाही थी। मुख्य अभियंता के द्वारा सूचित किया गया कि जांच शासन स्तर की है अतः जानकारी शासन से प्राप्त की जावे। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्ध प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को अपील दिनांक 23.12.2005 के द्वारा अपील प्रस्तुत की। इसी के साथ–साथ आवेदक ने आवेदन पत्र 20.12.2005 के द्वारा जन सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय को आवेदन पत्र देकर तथा आवेदन शुल्क देकर मुख्य तकनीकी परीक्षक की जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति की सत्यप्रतिलिपि की मांग की। लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय के द्वारा आवेदक को दिनांक 16.01.2006 के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन है। अतः उसी विभाग के द्वारा प्रतिलिपि दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। इस पत्र से असंतुष्ट होकर आवेदक के द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई है।

जन सूचना अधिकारी, छ.ग.शासन लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किया गया। लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री जे.एस. दीक्षित, अवर सचिव, जन सूचना अधिकारी प्रस्तुत हुए। उन्होंने बताया कि मूल जांच प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के पास है। अतः वे ही प्रतिलिपि दे सकते है। आयोग के द्वारा निर्देश दिये गये कि

आवेदक का मूल आवेदन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को हस्तान्तरित किया जावे। आवेदक ने यह बतलाया कि सामान्य प्रशासन विभाग में जांच प्रतिवेदन की प्रति लोक निर्माण विभाग को भेजी है अतः लोक निर्माण विभाग ही प्रतिवेदन की प्रति दे सकता है। आवेदक को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पत्र दिनांक 03.05.2006 के द्वारा सूचित किया गया कि मुख्य तकनीकी परीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार दोषियों के विरूद्ध विधि अनुकूल आवश्यक कार्यवाही लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलन में है। इसे सार्वजनिक रूप से उजागर कर देने पर अपराध के उद्दीपन की ओर बढ़ने पर हानिकर अथवा प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं यह सूचना अपराधियों के अनुसंधान/जांच एवं अभियोजन के प्रकरण में बाधक होगी। अतः अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) (जी) तथा आवेदन (एच) के अंतर्गत सूचना को प्रगट करने से विमुक्ति की श्रेणी में आता है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आयोग को अपने पत्र दिनांक 15.06.2006 के द्वारा सूचित किया गया कि दोषियों के विरूद्ध संपूर्ण कार्यवाही होने के पूर्व जांच प्रतिवेदन सार्वजनिक रूप से उजागर कर देने पर प्रतिकूल स्थिति निर्मित होगी। अतः इसे दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होती।

आयोग के द्वारा शिकायतकर्ता तथा लोक निर्माण विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के जन सूचना अधिकारियों के तर्क सुने गये तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। आवेदक का मुख्य तर्क यही है कि यह प्रतिवेदन भ्रष्टाचार से संबंधित है अतः जनहित में इसकी प्रति उसे उपलब्ध करायी जानी चाहिए। जन सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग का यह तर्क है कि चूंकि मूल प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को मूल तकनीकी परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है अतः उसी के द्वारा प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग, जन सूचना अधिकारी के द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रतिवेदन में 22 संभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विवेचना की गई है। इसे दिये जाने से जांच में कठिनाई होगी। आवेदक ने दिनांक 11 अगस्त 2006 को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें उल्लेख किया गया कि जन सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के द्वारा अधिनियम की धारा–8(A, G एवं H) का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं होती। उनके द्वारा Principles of Statutory interpretation पुस्तक के पृष्ठ–345 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वैधानिक प्रावधान की व्याख्या अधिनियम में दिये गये शब्दों के अनुसार ही की जाना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के जन सूचना अधिकारी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि राज्य शासन के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधीन डामर क्रय में हुई अनियमितता के संबंध में दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के संबंध मे जांच हेतु मामला राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को शासन के पत्र दिनांक 17 अगस्त 2004 के द्वारा सौंपा गया है तथा इस प्रकरण में राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जांच की जा रही है। इसमें मुख्य तकनीकी परीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन भी सम्मिलित है। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक होने से आपराधिक विवेचना में बाधा होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (ए) भारत की अखंडता एवं संप्रभुता, सुरक्षा, राज्य के वैज्ञानिक एवं आर्थिक हित, विदेशों से संबंध से संबंधित है जो कि इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं होती। इसी धारा के भाग–जी के अतंर्गत ऐसी सूचना

जिसके घोषित होने पर किसी के जीवन अथवा शारीरिक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा या सूचना के स्त्रोत की पहचान से विधि के प्रवर्तन किये जाने अथवा सुरक्षा के प्रवचनों के लिए खतरा पहुंचेगा, को विमुक्त की श्रेणी में माना गया है। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य तकनीकी परीक्षक के प्रतिवेदन के घोषित होने से किसी व्यक्ति की सुरक्षा अथवा विधि के प्रवर्तन में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती। धारा–8 (एच) के अंतर्गत प्रावधान है कि सूचना जो अपराधियों के अनुंसधान, जांच या अभियोजन में बाधक होगी या अड़चन डालेगी, उसे विमुक्त की श्रेणी में माना गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 17 अगस्त 2004 से स्पष्ट है कि प्रकरण अपराधिक प्रकरण के रूप में दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को अनुमति दी गई है। स्पष्ट है कि प्रकरण में आपराधिक अनुसंधान की कार्यवाही प्रारंभ है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(एच) में यह प्रावधान है कि ऐसी सूचना, जो कि अपराधियों की अनुसंधान, जांच या अभियोजन के प्रकरण में बाधक होगी या अड़चन डालेगी अधिनियम के अंतर्गत दिया जाना बाध्य नहीं होगी। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य तकनीकी परीक्षक का प्रतिवेदन राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अनुसंधान से संबंद्ध है तथा यदि यह प्रतिवेदन आवेदक को दिया जाता है तो सार्वजनिक हो जाने से अनुसंधान में बाधक हो सकता है तथा अनुसंधान किये जाने में, तथा साक्ष्य एकत्रित करने में कठिनाई होगी। यह प्रतिवेदन अधिनियम की धारा–8(एच) के अंतर्गत विमुक्त की श्रेणी में है अतः यह प्रतिवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आवेदक के द्वारा ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे प्रमाणित हो सके मुख्य तकनीकी परीक्षक का प्रतिवेदन आवेदक को दिये जाने से आपराधिक प्रकरण की विवेचन में बाधा नहीं होगी।

उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

आवेदक की शिकायत अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त